

आज आरक्षी केन्द्र मालनपुर के उपनिरीक्षक / सहायक  
उपनिरीक्षक / प्रधान क० आरक्षक / आरक्षक इन्दर प्रसाद से अपराध  
क० 112/16 अंतर्गत धारा 34 अधिनियम अधीन दण्डनीय  
अपराध के संबंध में अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग  
पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 श्री पुबीन सिंह बिष्ट उपा०।

अभियुक्त / अभियुक्तगण दिनेश 816 राम प्रसाद झा  
उम ठाकुर

निवासी / निवासगण हरि राम पट्ट  
थाना मालनपुर जिला मिर्जापुर राज्य मणिपुर  
उपरिथित। अभियुक्त / अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता  
श्री मेमोरेण्डम / वकालतनामा प्रस्तुत  
किया।

अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र / परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार भा०द०स० / 34 अधिनियम अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 190-(1) द०प्र०स० के अधीन नृक्षानि निरुद्ध करने का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पंजीयन आपराधिक कंजी 600374/11 में दर्ज किया जावे।

अभियुक्त / अभियुक्तगण द०प्र०स० द्वारा 2017 के अधीन प्रावधानों के प्रकाश में अभियोग पत्र एवं दस्तावेजों के समीक्षा एवं निशुल्क दिलाई देने।



चूँकि मामला संक्षिप्त विचारणीय है। अतः संक्षिप्त विचारण प्रारम्भ किया गया। अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 342 Cr.P.C. भा0दं0सं0/ अभियुक्त/अभियुक्तगण की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त ने अपराध को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अगिवाक यथा रांगव उराके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक रो तक्ति कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 7 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति 1000 रुपये राजसात किये जायें। संपत्ति 5000 रुपये मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

पुनश्च:  
निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि 5000 रुपये अदा की जिसकी पावती बुक क0 6887 रसीद, क0 44 दी गई। अभियुक्त/अभियुक्तगण को सजा भुगताई गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संज्ञित हो।

उपरोक्त सिद्धांत  
रायिक  
मिलेन्द्र प्रथम मर्जी  
मिलेन्द्र प्रथम मर्जी

सिने